(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक 2727–दो/2012 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2012 – पारित व्दारा तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ – प्रकरण कमांक 139 अ–12/2009–10

राजेश कुमार पुत्र कृष्णगोपाल शर्मा
मामोन दरवाजा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ––– आवेदक

विरूद्ध

पी0डी0रावत पुत्र देवकीनन्दन रावत
मामोन दरवाजा, टीकमगढ़, म0प्र0 ––– अनावेदक

(आवेदक के श्री एस0के0श्रीवास्तव अभिभाषक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक \०जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 139 अ–12/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–6–12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक ने तसीलदार टीकमगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर टीकमगढ़ स्थित खसरा कमांक 1361/2789, 1365 जु. 1357/2790 की भूमि (आगे जिसे उक्तांकित भूमि सम्बोधित किया गया है) के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 139/अ–12/09–10 कायम किया तथा

अधीक्षक भू अभिलेख को सीमांकन करने हेतु पत्र दिनांक 11-11-09जारी किया। अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ ने 9-7-10 को मौके पर जाकर सीमांकन हेतु जरीब डलवाई , किन्तु उक्तांकित भूमि पर कई मकान बने होने से सीमांकन कार्यवाही संभव न होने के कारण तदाशय का प्रतिवेदन दिनांक 20-7-10 प्रस्तुत किया , जिस पर से तहसीलदार टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 29-7-10 पारित करके अनावेदक का सीमांकन आवेदन नस्तीबद्ध कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक एंव रूपेश रावत ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी कमांक 71/10-11 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 23-2-11 से निगरानी स्वीकार की गई एंव प्रकरण पुनः सीमांकन कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के निगरानी कमांक 71/10-11 में पारित आदेश दिनांक 23-2-11 के परिप्रेक्ष्य तहसीलदार टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-11 से अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ के नेतृत्व में सीमांकन दल गठित कर सीमांकन प्रतिवेदन की मांग की, जिस पर से अधीक्षक भू अभिलेख ने गठित दल सहित मौके पर जाकर दिनांक 29-11-11 को सीमांकन कार्यवाही की एंव प्रतिवेदित किया कि खसरा नबर 1377 के कुओं से चलने पर जरीब लाइन में मकान आदि पड़ने के कारण जरीब लाइन नहीं चलाई जा सकी। दिनांक 29-11-11 को की गई सीमांकन कार्यवाही पर आवेदक व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार टीकमगढ़ ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-6-12 पारित किया तथा अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन अपूर्ण होने से अस्वीकार किया तथा अधीक्षक भू अभिलेख को निर्देश दिये कि वह पुनः सीमांकन कार्यवाही पूर्ण कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों

के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक व्दारा उक्तांकित भूमि के सीमांकन की मांग करने पर अधीक्षक भू अभिलेख ने मौके पर जाकर दिनांक 9-7-10 को सीमांकन हेतु जरीब डलवाई, किन्तु भूमि पर कई मकान बने होने से सीमांकन कार्यवाही संभव न होने के कारण तदाशय का प्रतिवेदन दिनांक 20-7-10 प्रस्तुत किया है जिस पर से तहसीलदार ने सीमांकन आवेदन निरस्त किया है। इसके वाद अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23-2-11 के परिप्रेक्ष्य तहसीलदार टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 17-10-11 से अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ के नेतृत्व में पुनः सीमांकन दल गठित कर सीमांकन कराया है, जिस पर से अधीक्षक भू अभिलेख ने गठित दल सहित दिनांक 29-11-11 को सीमांकन कार्यवाही की है एंव अधीक्षक भू अभिलेख ने पुनः प्रतिवेदित किया कि खसरा नबर 1377 के कुओं से चलने पर जरीब लाइन मे मकान आदि पड़ने के कारण जरीब नहीं चलाई जा सकी। इस प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-6-12 से सीमांकन प्रतिवेदन अस्वीकार किया है एंव पुनः अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कर प्रतिवेदन की अपेक्षा की है। प्रकरण में विचार योग्य है कि उक्तांकित भूमि पर सघन वस्ती (मकान) बने होने के कारण जब अधीक्षक भू अभिलेख सीमांकन करने में असमर्थ्य रहे है एंव उक्तांकित भूमि पर जरीव न चल पाने से सीमांकन संभव नहीं है तब राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यर्थ परेशानी में डालने एंव उनका समय नष्ट करने हेतु तीसरी-वार सीमांकन के लिये आदेशित करना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण

क्रमांक 139 अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30-6-12 नियमानुकूल नहीं माना जा सकता, यदि अनावेदक स्वयं की भूमि बसाहट से अथवा निर्मित मकानों से प्रभावित होना मानता है उसका उपचार सीमांकन कार्यवाही न होकर सिविल वाद है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 139 अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30-6-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर